

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2202 /2019

दिनांक 02.11.2019

श्री रोहित सक्सेना (RJ0861), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) को दिनांक 14.11.2019 से 16.11.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.11.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सक्सेना की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) के पद पर ही होने की सम्भावना है ।

आज्ञा से

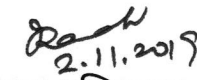

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/31/2015/ 10300

दिनांक : 02.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 4239 दिनांक 24.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रोहित सक्सेना (RJ0861), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां ।


सहायक रजिस्ट्रार